


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता राजनीति विज्ञान के इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19.11.2018 में उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार संशोधन किया जाता है ।

क्र सं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	मूल आदेश के क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	लहरी चरण शर्मा -राबाउमावि खेडा ब्राह्मण डीग,भरतपुर	शिविरा/मा/संस्था/सी-6/ राज विज्ञान/सेवासमाप्ति/2018 दिनांक-19.11.2018	बिन्दु सं. 02 में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम -17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है। के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 अधीन कोई प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है। पढ़ा जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/ राज विज्ञान/सेवासमाप्ति/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 29 /05/2019

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग ।
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ।
5. संबंधित संस्था प्रधान..... ।
6. संबंधित कार्मिक..... ।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर